परिपत्र संख्या 24/2021-सीमा शुल्क

फा. संख्या: 451/22/2020-सीमा शुल्क V

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

****

कमरा संख्या 49, नॉर्थ ब्लॉक

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क/ सीमा शुल्क (निवारक),
सभी प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त केन्द्रीय कर और सीमा शुल्क,
सभी प्रधान आयुक्त /सीमा शुल्क आयुक्त/सीमा शुल्क (निवारक),
सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर .

विषय: प्राधिकृत कोरियरों के पंजीकरण के संबंध में अनुपालन बोझ को कम करना

हितधारकों पर अनुपालन बोझ को कम करने के रूप में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अधिकृत कूरियर की पंजीकरण आवश्यकताओं को सरल बनाने के उपाय किए हैं। इस संबंध में अधिसूचना सं. 86/2021-सीमा शुल्क (गै. टे) और 85/2021-सीमा शुल्क (गै.टे) दोनों दिनांक 27.10.2021, क्रमश: कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) विनियमन, 1998 और कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियमन 2010 में संशोधन किया है।

2. संक्षेप में, ये संशोधन वैधता-अवधि और नवीकरण की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर पंजीकरण को आजीवन वैधता प्रदान करते हैं। इसमें पंजीकरण को स्वेच्छा से वापस करने का भी प्रावधान है। यदि अधिकृत कूरियर लगातार 1 वर्ष की अवधि के लिए निष्क्रिय है, तो पंजीकरण की अमान्यता को सक्षम करते हुए, ये प्रधान आयुक्त या आयुक्त को इस तरह के पंजीकरण को नवीकृत करने का अधिकार भी देते हैं। ऐसा माना गया है कि अमान्यता प्रावधान संभावित रूप से लागू किया जाएगा। इन पहलुओं से प्राधिकृत कूरियर के लिए अधिक निश्चितता लाने और उनके मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने और विश्वास-आधारित अनुपालन को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि आवश्यक हुआ तो संशोधन लाने के लिए बोर्ड इन पहलुओं की समीक्षा (अप्रैल 2022 में) करेगा।

3.1 एक पहलू जो ध्यान में आया है वह यह है कि अधिकृत कूरियर एक/पहले सीमा शुल्क स्टेशन पर पंजीकृत होने के बाद, अन्य सीमा शुल्क स्टेशनों पर पर व्यापार करने के लिए ऐसे अन्य सीमा शुल्क स्टेशनों को भी पंजीकृत किया गया है।

3.2 इस मामले में, मौजूदा विनियम स्पष्ट हैं कि एक बार किसी विशेष सीमा शुल्क स्टेशन पर पंजीकृत होने के बाद, अधिकृत कूरियर, कहीं और व्यापार करने के लिए, अन्य सीमा शुल्क स्टेशन पर अधिकार क्षेत्र वाले प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त को केवल उचित सूचना देने की आवश्यकता है और ऐसे प्रत्येक स्थान पर निर्धारित बॉन्ड/प्रतिभूति प्रस्तुत करें। यहां, कूरियर आयात और निर्यात (स्वीकृति) विनियमन, 1998 के विनियम 12 के साथ पठित विनियम 7(2) या कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियमन 2010 के विनियम 11(2) के साथ पठित विनियम 10(7) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3.3 या तो विनियम अर्थात कूरियर आयात और निर्यात (स्वीकृति) विनियमन, 1998 या कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियमन, 2010 के तहत कई पंजीकरणों के दोहराव/अस्तित्व को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है ताकि इस तरह के पहले पंजीकरण के तहत संबंधित विनियमन को एकल पंजीकरण के रूप में लिया जाता है और अन्य को उन विनियमों के तहत सूचना प्रक्रिया के संदर्भ में नियमित किया जाता है। इस पहलू की समीक्षा और युक्तिकरण करते समय, अपनाई गई प्रक्रिया और प्रणाली सुचारू, सुविधाजनक होनी चाहिए और अधिकृत कूरियर के सामान्य व्यवसाय के लिए अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में डीजी सिस्टम से अनुरोध किया गया है कि जहां तक ईसीसीएस का संबंध है, कई और पहले पंजीकरणों की पहचान करने में आयुक्तों की सहायता करें। अन्य स्थानों के साथ उचित समन्वय संबंधित प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा रखा जा सकता है।

इस संबंध में, यह भी सूचित किया जाता है कि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एक अधिकृत कूरियर के पंजीकरण को रद्द करने की सूचना अन्य सीमा शुल्क स्टेशनों को नहीं दी गई है। यह निर्देशित किया जाता है कि डीजी सिस्टम और डीजी एआरएम द्वारा विनिर्दिष्ट नोडल अधिकारी (अधिकारियों) को सूचित करने के अलावा कूरियर संचालन के लिए अधिसूचित अन्य सीमा शुल्क स्टेशनों को ऐसे निर्णयों को संप्रेषित करने की प्रथा को लागू किया जाना चाहिए।

4. कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी कठिनाई को बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है।

(कोमिला पुनिया)
उप सचिव
(ईमेल: diricd-cbec@nic.in)